ABHISHEK SHARMA
Digitally signed by ABHISHEK SHARMA
Date: 2026.08.18 17:25:32 +0530

CNR No.–CGRG100005322021

FORM – D

न्यायालय : अभिषेक शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	
निर्णय दिनांक : 18.08.2026 सत्र प्रकरण क्रमांक–98/2021 CNR No.– CGRG100005322021 अपराध क्रमांक–253/2021 आरक्षी केन्द्र–घरघोड़ा	
शिकायतकर्त्ता	नरेश राठिया (अ.सा.2)
राज्य की ओर से	श्री राजेश सिंह ठाकुर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ।
अभियुक्त	तेलसिंह राठिया पिता गणेशराम राठिया, उम्र–45 वर्ष, निवासी–बस्तीपाली, थाना–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से	श्री कैलाश कुमार गुप्ता पैनल अधिवक्ता।

नोटः–अभियुक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है । निःशुल्क विधिक सहायता हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर (छ.ग.) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ (छ.ग.) में सम्पर्क किया जा सकता है।

FORM — E

घटना दिनाँक	09.08.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक	09.08.2021
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनाँक	22.09.2021 (न्यायालय–कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.))
आरोप विरचित करने का दिनाँक	11.11.2021
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	24.08.2024
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक	03.08.2026
निर्णय की तिथि	18.08.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	18.08.2026

न्यायालय–कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 623/2021 राज्य विरूद्ध तेलसिंह राठिया में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 06.10.2021 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनाँक	जमानत पर मुक्त होने का दिनाँक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्धि	दी गयी सजा	धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
1.	तेलसिंह राठिया	10.08.2021	–	धारा 294 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 17.08.2026 तक कुल 05 वर्ष 07 दिवस
				धारा 506 भाग–दो भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	
				धारा 302 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	आजीवन कारावास एवं 1,000/– (अक्षरी–एक हजार) रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से	

Index

क्र.	विवरण	पेज नंबर
1	निर्णय का शीर्षक	01
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
3	आरोप	05
4	स्वीकृत तथ्य	05
5	अभियोजन कहानी	05—10
6	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	15—16
7	अवधारणीय प्रश्न	16
8	कारण और निष्कर्ष	17—54
9	सजा	56
10	निरोध की अवधि एवं सेट—ऑफ	56
11	संपत्ति का व्ययन	57
12	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	57—58
13	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र	60
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	56
15	निर्णय की प्रति	58—59

–निर्णय–

(आज दिनांक 18.08.2026 को घोषित)

1. अभियुक्त तेलसिंह राठिया के विरुद्ध दिनांक 09.08.2021 को समय करीब 12:00 बजे ग्राम–बस्तीपाली चुआ डोली अंतर्गत थाना–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में मृतक समुंदर राठिया को लोक स्थान या उसके समीप माँ–बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने, मृतक समुंदर राठिया को जान से मारने की धमकी देते हुए आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं मृतक समुंदर राठिया की हत्या कारित करने के आशय से अथवा उसे ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिसके बारे में वह यह जानता था कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, समुंदर राठिया के सिर में टांगा के पासा से प्रहार कर उसकी हत्या कारित करने के कारण **धारा 294, 506 भाग–दो, 302 भारतीय दण्ड संहिता** (जिसे आगे निर्णय में भा.दं.सं. लिखा जावेगा) के तहत् दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि अभियुक्त एवं मृतक का खेत एक ही जगह पर है और दोनों के खेत में बोर लगा हुआ है ।

3. **(क)** अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 09.08.2021 को 16:10 बजे प्रार्थी नरेश राठिया (अ.सा.2) द्वारा थाना–

घरघोड़ा में अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके चाचा समुंदर एवं अभियुक्त तेलसिंह का खेत एक ही जगह अगल–बगल में है, तेलसिंह चुंआ डोली में बोर खुदवाया है जिसमें बोर पाईप में कोई पत्थर को डाल दिया था, दिनांक 09.08.2021 को समय 12:00 बजे तेल सिंह उसके चाचा समुंदर लाल को तुम बोर पाईप में पत्थर डाल दिये हो कहकर अश्लील गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हत्या करने के नियत से टांगा के पासा से सिर माथा में मारा जिससे चोट लगा है, घटना को वह उसकी पत्नी सुलोचना, चाची केवरा एवं बहन रमा ने देखे हैं । प्रार्थी की उक्त शिकायत पर प्रधान आरक्षक मनोज मरावी (अ.सा.12) द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध थाना–घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 253/2021 धारा 294, 506 भाग–दो, 307 भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दर्ज किया गया ।

(ख) आहत समुंदर राठिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा में भर्ती कराया गया, जहाँ रंजना तिर्की (अ.सा.10) द्वारा उसका प्रारंभिक उपचार किया गया तथा मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 देते हुए उसके सिर के सामने फ्रंटोपैराईटल भाग में लेसरेटेड वुंड होना पाया तथा उक्त चोट गंभीर प्रकृति तथा जीवन के लिए संकटापन्न होने के कारण सी.टी. स्केन की सलाह दी गई । विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15) द्वारा

घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया, घटनास्थल नत्थू के घर के आंगन से नरेश राठिया एवं समुंदर के मकान जाने वाली गली मवेशी कोठार के सामने तेलसिंह राठिया के मकान कोसाबाड़ी जाने का रास्ता है।

(ग) विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15) द्वारा घटनास्थल से साक्षी रेशम लाल राठिया एवं रामसिंह के समक्ष 100 ग्राम खून आलूदा मिट्टी एवं घटना स्थल के पास से करीब 100 ग्राम सादी मिट्टी को पृथक–पृथक सीलबंद कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 के अनुसार जप्त किया गया । उपचार के दौरान आहत बेहोशी की अवस्था में था एवं कथन देने में असमर्थ था एवं उक्त दिनांक को ही 18:00 बजे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में अस्पताल से प्राप्त तहरीर के आधार पर प्रधान आरक्षक मनोज मरावी (अ.सा.12) द्वारा मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–14 दर्ज किया गया ।

(घ) विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15) द्वारा दिनांक 10.08.2021 को मृतक समुंदर राठिया के वारिसानों एवं पंचानों को मृतक के मृत्यु जांच में उपस्थित होने हेतु नोटिस प्रदर्श पी–3 देकर उनकी उपस्थिति में शव का निरीक्षण कर नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–4 तैयार किया गया था तथा शव के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृतक की मृत्यु अभियुक्त तेलसिंह राठिया के द्वारा टांगी के पासा से उसके सिर में मारने

के परिणामस्वरूप हुई है तथा तेलसिंह राठिया द्वारा आहत की हत्या कारित करना प्रतीत हो रहा था किन्तु वारिसानों एवं पंचानों द्वारा मृत्यु का सही कारण जानने हेतु मृतक के शव के पोस्टमार्टम् कराने की सलाह दी गई । विवेचना अधिकारी द्वारा आरक्षक क्रमांक 453 नरेन्द्र पैंकरा को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने एवं पोस्टमार्टम उपरांत मृतक के शव को उसके परिजनों को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित कर उसे कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–18 प्रदान किया गया था तथा शव परीक्षण हेतु चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा को तहरीर प्रदर्श पी–21 प्रेषित की गई ।

(ड.) डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11) ने मृतक के शव का परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 देते हुए उसकी मृत्यु सिर में चोट लगने से आंतरिक रक्तस्त्राव के कारण होना पाते हुए मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होने के संबंध में अभिमत दिया गया तथा मृतक के गमछे को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रिजर्व किया गया । विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15) द्वारा साक्षी रेशम लाल एवं रामसिंह राठिया को धारा 160 द.प्र.सं. के तहत नोटिस प्रदर्श पी–5 देकर उनकी उपस्थिति में दिनांक 10.08.2021 को 13:20 बजे ग्राम–बस्तीपाली में साक्षी रेशम लाल एवं रामसिंह राठिया के समक्ष अभियुक्त तेलसिंह राठिया से पूछताछ कर उसका मेमोरण्डम प्रदर्श पी–7

लेखबद्ध किया गया तथा उसकी निशानदेही पर उक्त दिनांक को 14:10 बजे ग्राम बस्तीपाली स्थित अपने घर के पीछे से अभियुक्त निकाल कर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टांगी को उक्त दोनों गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–8 के अनुसार जप्त कर सीलबंद किया गया। अभियुक्त तेलसिंह को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–9 के अनसुार गिरफ्तार कर उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन संतोष राठिया एवं निर्मल राठिया को दी गई ।

(च) प्रकरण में जप्तशुदा टांगी से मृतक को आयी चोट आ सकती है एवं क्या उससे मृत्यु कारित हो सकती है के संबंध में क्वेरी हेतु तहरीर प्रदर्श पी–23 चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा को प्रेषित किया गया । डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11) ने टांगी का परीक्षण कर क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 देते हुए उक्त टांगी से मृतक को आयी चोट आ सकने एवं उससे मृतक की मृत्यु हो सकने के संबंध में अभिमत दिया गया तथा टांगी में रक्त के समान धब्बे पाये जाने के कारण रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गई । गवाहों के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था । मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान प्रिजर्व किये गये खून लगे तौलिया को सीलबंद पैकेट में आरक्षक क्रमांक 453 नरेन्द्र पैंकरा द्वारा प्रस्तुत करने पर उसे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–15 के अनुसार जप्त किया गया । प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों का रासायनिक

परीक्षण कराया गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–25 के अनुसार प्रदर्श डी–टांगी में "ओ" समूह का मानव रक्त पाया गया, प्रदर्श ए–मिट्टी एवं प्रदर्श सी–तौलिया (गमछा) में रक्त पाया गया किन्तु धब्बे विघटित होने के कारण मानव रक्त हेतु परीक्षण परिणाम ऋणात्मक पाया गया, प्रदर्श बी–मिट्टी में रक्त नहीं पाया गया।

(छ) आरक्षी केन्द्र घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 253/2021 में आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग–दो, 307, 302 भा.दं.सं. के तहत अभियोग पत्र क्रमांक 263/2021 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के समक्ष दिनांक 22.09.2021 को प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण उपार्पण पश्चात् दिनांक 18.10.2021 को इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।

4. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग–दो, 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की । अभियुक्त का अभिवाक् उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया ।

5. अभियोजन परीक्षित कराये गये साक्षियों, प्रदर्शित किये गये दस्तावेजों एवं आर्टिकल के संबंध में तालिका निम्नानुसार है–

Table showing details of the witnesses examined

No.	Name of witness	Description
अ.सा.1	केवरा बाई	मृतक की पत्नी एवं घटना की अनुश्रुत साक्षी है।
अ.सा.2	नरेश राठिया	मृतक एवं अभियुक्त का भतीजा तथा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी, प्रकरण का प्रार्थी तथा नजरी नक्शा एवं नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही के संबंध में पंच साक्षी है ।
अ.सा.3	रमला बाई राठिया	मृतक एवं अभियुक्त की भाभी तथा घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है।
अ.सा.4	सरोज बाई राठिया	मृतक एवं अभियुक्त की बहू तथा घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है ।
अ.सा.5	कृष्णा राठिया	मृतक एवं अभियुक्त का भतीजा एवं घटना का अनुश्रुत साक्षी तथा नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही के संबंध में पंच साक्षी है ।
अ.सा.6	उर्मिला राठिया	मृतक एवं अभियुक्त की भतीजी तथा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है।
अ.सा.7	परमानंद राठिया	मृतक एवं अभियुक्त का भतीजा, घटना का अनुश्रुत साक्षी तथा नक्शा पंचायतनामा के संबंध में पंच साक्षी है ।
अ.सा.8	रेशमलाल राठिया	मृतक एवं अभियुक्त का भाई तथा मेमोरंडम, जप्ती पत्रक व गिरफ्तारी के संबंध में पंच साक्षी है।
अ.सा.9	रामसिंह राठिया	मेमोरंडम, जप्ती पत्रक व गिरफ्तारी के संबंध में

		पंच साक्षी है ।
अ.सा.10	डॉ. रंजना तिर्की	चिकित्सकीय साक्षी, जिसके द्वारा समुंदर राठिया को उपचार किया गया है ।
अ.सा.11	डॉ. अजय कुमार राठिया	चिकित्सकीय साक्षी, जिसके द्वारा मृतक समुंदर के शव का पोस्टमार्टम किया गया है एवं प्रकरण में जप्तशुदा टांगी का परीक्षण कर क्वेरी रिपोर्ट दिया गया है ।
अ.सा.12	प्रधान आरक्षक मनोज मरावी	पुलिस साक्षी जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया है ।
अ.सा.13	आरक्षक सुरेन्द्र कुमार भगत	पुलिस साक्षी जिसके समक्ष मृतक के पोस्टमार्टम के दौरा प्रिजर्व किये गये गमछा को जप्त किया गया है एवं प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर ले जाकर जमा किया गया है ।
अ.सा.14	आरक्षक नरेन्द्र कुमार पैंकरा	पुलिस साक्षी जिसके द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाया गया है एवं पोस्टमार्टम उपरांत शव को मृतक के परिजन के सुपुर्द किया गया है तथा मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान प्रिजर्व किये गये गमछा को थाना लाकर जप्त कराया गया है।
अ.सा.15	तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस	पुलिस साक्षी एवं प्रकरण का विवेचना अधिकारी है।

Table showing details of the Exhibited Documents

Exhibit No.	Description of the Exhibit	Date of Exhibit	Proved or attested By
प्रदर्श पी–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	05.06.2025	अ.सा.2
प्रदर्श पी–2	घटनास्थल का नजरी नक्शा	05.06.2025	अ.सा.2
प्रदर्श पी–3	मृतक की मृत्यु जाँच कार्यवाही हेतु धारा 175 दं.प्र.सं. का नोटिस	05.06.2025	अ.सा.2
प्रदर्श पी–4	नक्शा पंचायतनामा	27.03.2026	अ.सा.5
प्रदर्श पी–5	धारा 160 दं.प्र.सं. का नोटिस	14.05.2026	अ.सा.8
प्रदर्श पी–6	घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी जप्ती के संबंध में सम्पत्ति जप्ती पत्रक	14.05.2026	अ.सा.8
प्रदर्श पी–7	अभियुक्त का मेमोरंडम	14.05.2026	अ.सा.8
प्रदर्श पी–8	अभियुक्त से लोहे का टांगी जप्ती के संबंध में संपत्ति जप्ती पत्रक	14.05.2026	अ.सा.8
प्रदर्श पी–9	अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक	14.05.2026	अ.सा.8
प्रदर्श पी–10	मुलाहिजा रिपोर्ट	15.05.2026	अ.सा.10
प्रदर्श पी–11	आहत के मरणासन्न कथन देने की समर्थता के संबंध में	15.05.2026	अ.सा.10

	दिया गया अभिमत		
प्रदर्श पी–12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	15.06.2026	अ.सा.11
प्रदर्श पी–13	प्रकरण में जप्तशुदा टांगी का क्वेरी रिपोर्ट	15.06.2026	अ.सा.11
प्रदर्श पी–14	मर्ग इंटीमेशन	16.06.2026	अ.सा.12
प्रदर्श पी–15	प्रकरण में मृतक का तौलिया (गमछा) के संबंध में संपत्ति जप्ती पत्रक	16.06.2026	अ.सा.13
प्रदर्श पी–16	प्रदर्श प्राप्ति रसीद	16.06.2026	अ.सा.13
प्रदर्श पी–17	शव सुपुर्दनामा	09.07.2026	अ.सा.14
प्रदर्श पी–18	कर्तव्य प्रमाण पत्र	09.07.2026	अ.सा.14
प्रदर्श पी–19	आहत समुंदर राठिया मरणासन्न कथन देने योग्य है या नहीं के संबंध में चिकित्सा अधिकारी घरघोड़ा को प्रेषित तहरीर	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–20	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा स्थित चीरघर जहां मृतक का शव रखा था का नजरी नक्शा	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–21	मृतक के शव का पोस्टमार्टम हेतु चिकित्सा अधिकारी घरघोड़ा को प्रेषित तहरीर	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–22	घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदाय करने हेतु तहसीलदार घरघोड़ा को प्रेषित तहरीर	10.07.2026	अ.सा.15

प्रदर्श पी–23	प्रकरण में जप्तशुदा टांगी का क्वेरी हेतु चिकित्सा अधिकारी घरघोड़ा को प्रेषित तहरीर	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–24	जप्तशुदा प्रदर्शों को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर को प्रेषित ड्राफ्ट	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–25	एफ.एस.एल. रिपोर्ट	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–26	प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों का रासायनिक परीक्षण उपरांत पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को प्रेषित तहरीर	10.07.2026	अ.सा.15
प्रदर्श पी–27	आहत समुंदर राठिया की मुलाहिजा हेतु घरघोड़ा प्रेषित तहरीर	10.07.2026	अ.सा.15

Table showing details of the Exhibited Material Objects

Material Object No.	Description of Exhibit	Proved or Attested By
–	–	–

6. धारा 313 दं.प्र.सं. (वर्तमान में 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसके द्वारा स्वयं को निर्दोष होना

तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त कर अपने बचाव में किसी भी साक्षी का कथन कराने से इंकार किया गया है ।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न है कि:–

1. क्या अभियुक्त तेलसिंह राठिया ने दिनांक 09.08.2021 को समय करीब 12:00 बजे थाना–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में ग्राम–बस्तीपाली चुआ डोली घरघोड़ा में मृतक समुंदर राठिया को लोक स्थान या उसके समीप माँ–बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर मृतक समुंदर राठिया को जान से मारने की धमकी देते हुए अभित्रास कारित किया ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर मृतक समुंदर राठिया की हत्या कारित करने के आशय से अथवा उसे ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिसके बारे में वह यह जानता था कि उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है, समुंदर राठिया के सिर में टांगा के पासा से प्रहार कर हत्या कारित की गई ?

<u>अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का विवेचन एवं सकारण निष्कर्ष</u>

नोटः–उपरोक्त सभी अवधारणीय प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं क्रमबंधन को दृष्टिगत रखते हुए उनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

8. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजन का तर्क है कि नरेश राठिया (अ.सा.2), रमला बाई राठिया (अ.सा.3), सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4) एवं उर्मिला राठिया (अ.सा.6) प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी है, उन्होंने अभियुक्त द्वारा टांगी से मृतक को मारने की एवं उसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु होने की पुष्टि की है । केवरा बाई (अ.सा.1), कृष्णा राठिया (अ.सा.5) एवं परमानंद राठिया (अ.सा.7) ने भी अभियुक्त द्वारा टांगी से मृतक को मारने के कारण मृतक की मृत्यु होना बताया है । डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 देते हुए सिर में आयी चोट के कारण मृतक की मृत्यु होना एवं उसकी मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होने के संबंध में अभिमत दिया है तथा क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 देते हुए प्रकरण में जप्तशुदा टांगी से मृतक को आयी चोट आ सकने के संबंध में अभिमत दिया है । एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–25 से प्रमाणित है कि प्रकरण में जप्तशुदा टांगी में "ओ" समूह का मानव रक्त पाया गया है। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित करने में सफल रहा है । अतः

अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे ।

9. इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान पैनल अधिवक्ता का तर्क है कि केवरा बाई (अ.सा.1), नरेश राठिया (अ.सा.2), रमला बाई राठिया (अ.सा.3), सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4),कृष्णा राठिया (अ.सा.5), उर्मिला राठिया (अ.सा.6) एवं परमानंद राठिया (अ.सा.7) मृतक के परिजन होकर हितबद्ध साक्षी हैं, उनके कथन विश्वसनीय प्रकृति के नहीं है । रेशमलाल राठिया (अ.सा.8) एवं रामसिंह राठिया (अ.सा.9) ने अभियुक्त के मेमोरंडम प्रदर्श पी–7 एवं उसके आधार पर की गई जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी–8 तथा घटनास्थल से मिट्टी जप्त होने के संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–9 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है । अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे । विकल्प में विद्वान पैनल अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है तो अभियोजन कहानी के अनुसार किसी ने अभियुक्त के बोर के पाईप में पत्थर डाल दिया था, इसी कारण गुस्से में आकर घटना कारित की गई है, इसलिए अभियुक्त का कृत्य हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आने के कारण उसे 304 भाग–दो भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डित किया जावे ।

10. **उभय पक्ष के उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि मृतक समुंदर राठिया की मृत्यु की प्रकृति क्या है** ?

11. **प्रार्थी नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने बताया है कि अभियुक्त एवं मृतक रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं । इस साक्षी ने बताया है कि घटना वर्ष 2021 में बरसात के मौसम की है, घटना दिनांक को दोपहर 12:00 बजे वह अपने घर के पास गली में टहल रहा था, उसी समय अभियुक्त बोर में पानी नहीं आने की बात को लेकर गाली–गलौज कर रहा था । इस साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त एवं मृतक का खेत एक ही जगह पर है तथा दोनों के खेत में बोर लगा है । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त के बोर के पाईप में किसी ने पत्थर डाल दिया था, जिसे मृतक डाला है बोलकर अभियुक्त गंदी–गंदी गालियां देते हुए गली में इधर–उधर घुम रहा था तब उसने अभियुक्त से कहा कि बिना मतलब गाली–गलौज कर रहे हो तुम्हारे बोर में किसी ने बदमाशी नहीं किया है तब अभियुक्त उसके साथ गाली– गलौज करते हुए विवाद करने लगा, तब वह वहाँ से चला गया।

12. **प्रार्थी नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने यह भी बताया है कि उसी समय मृतक समुंदर वहाँ पर आ गया तब उसने मृतक को मना किया कि अभियुक्त मारपीट करने के लिए उतारू है और हाथ में टांगी रखा है, उधर मत जाओ किंतु

मृतक उसकी बात नहीं सुना और अभियुक्त को मना करते हुए उसके पास गया तभी अभियुक्त ने टांगी के पासा से मृतक को मारा और वहाँ से भाग गया । इस साक्षी ने बताया है कि मृतक वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया तब वह उसकी पत्नी सुलोचना, चाची कमला एवं बहन रमा के साथ डॉयल 112 वाहन को बुलाकर समुंदर राठिया को ईलाज के लिए घरघोड़ा अस्पताल लेकर गया । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने थाना–घरघोड़ा में अभियुक्त के विरुद्ध मृतक समुंदर राठिया के साथ मारपीट करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी–1** दर्ज कराया था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसी दिन रात्रि 08:00 बजे समुंदर राठिया की मृत्यु हो गई थी ।

13. **रमला बाई राठिया (अ.सा.3)** ने भी बताया है कि मृतक उसका सगा देवर एवं अभियुक्त उसका रिश्ते का देवर है । इस साक्षी ने बताया है कि घटना उसके बयान दिनांक 20.11.2025 से लगभग 3 वर्ष पूर्व बरसात के मौसम में हरेली त्यौहार के दूसरे दिन की है । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि दोपहर लगभग 12:00 बजे वह आंगन में खड़ी थी और उस समय अभियुक्त तेलसिंह और मृतक समुन्दर राठिया के मध्य लड़ाई–झगड़ा चल रहा था तब उसने लड़ाई–झगड़ा करने से मना किया था किन्तु वे लोग नहीं माने और अभियुक्त तेलसिंह अचानक लोहे की टांगी से मृतक समुन्दर राठिया के सिर में मारा और वहां से भाग

गया।

14. **रमला बाई राठिया (अ.सा.3)** ने बताया है कि वह घटना को देखकर जोर–जोर से चिल्लाई तब बहुत लोग आये फिर डॉयल 112 को फोन करके आहत समुन्दर राठिया को घरघोड़ा अस्पताल ईलाज के लिए आये थे, जहाँ ईलाज के दौरान शाम 05:00 बजे से 06:00 बजे आहत समुन्दर राठिया की मृत्यु हो गई। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त् के द्वारा टांगी से उसके सिर में मारने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी तथा अभियुक्त के द्वारा मृतक को टांगी से मारते हुए वह देखी थी।

15. **सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4)** ने बताया है कि अभियुक्त एवं मृतक उसके काका ससुर हैं । इस साक्षी ने बताया है कि घटना वर्ष 2021 की है, दोपहर 12:00 बजे वह अपने घर के आंगन में थी तब अभियुक्त तेलसिंह गाली गलौच कर रहा था तो वह अपने पति नरेश राठिया को बुलाने गई थी और घर चलो कहकर बोली उसी समय अभियुक्त तेल सिंह राठिया उसके बोर में तुम पत्थर डाल दिये होकर कहकर मृतक समुन्दर राठिया को गाली–गलौज कर रहा था। इस साक्षी ने बताया है कि वह जैसे ही अपने पति को घर चलो बोली तो उसी समय तेल सिंह राठिया लोहे के टांगी लेकर दौड़ते हुए आया और उसके चाचा ससुर समुंदर के सिर में मारा जिससे वह गिर गया और बेहोश हो गया तथा अभियुक्त

तेलसिंह टांगी को लेकर वहां से भाग गया, जिसे देखकर वह डर गई थी। इस साक्षी ने बताया है कि चाचा ससुर मृतक समुंदर के सिर से खून बहुत जोर से बह रहा था, फिर डॉयल 112 में फोन करके उसकी चाची तथा उसके पति नरेश राठिया चाचा ससुर समुंदर को घरघोड़ा अस्पताल लेकर आये थे जहां ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

16. **उर्मिला राठिया (अ.सा.6)** ने भी बताया है कि मृतक एवं अभियुक्त उसके चाचा हैं । इस साक्षी ने बताया है कि घटना उसके बयान दिनांक 27.04.2026 से लगभग 04 वर्ष पूर्व दोपहर लगभग 01:00 बजे की है । इस साक्षी ने बताया है कि घटना के समय वह अपने घर के कमरे में थी तभी झगड़ा होने की आवाज आयी तब वह घर के आंगन में निकल कर देखी तो अभियुक्त तेल सिंह टांगी लेकर जा रहा था और समुंदर वही पर पड़ा हुआ था और घटनास्थल पर खून बहा हुआ था तथा उसके चाचा समुंदर के सिर पर चोट लगी हुई थी जिससे उसके सिर से खून बह रहा था । इस साक्ष ने यह भी बताया है कि वह अपनी चाची केवरा बाई (मृतक समुंदर की पत्नी) जो खेत में थी को जाकर घटना के बारे में बतायी और उसके बाद वे दोनों घर आये और समुंदर राठिया को एम्बुलेंस से घरघोड़ा अस्पताल लेकर गये थे, उसी दिन शाम को समुंदर राठिया की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी । इस साक्षी ने भी यह बताया है कि अभियुक्

तेलसिंह द्वारा टांगी से मारने के कारण समुंदर राठिया की मृत्यु हुई थी ।

17. मृतक की पत्नी **केवरा बाई (अ.सा.1)** ने भी बताया है कि अभियुक्त उसके चाचा ससुर का लड़का है । इस साक्षी ने भी बताया है कि घटना उसके बयान दिनांक 24.08.2024 से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है, दोपहर लगभग 12:00 बजे वह खेत तरफ से घर पहुंच रही थी, तभी उसके भतीजे कृष्णा की बहू उर्मिला ने आवाज दिया कि रमा की माँ जल्दी आओ, रमा के पापा को अभियुक्त तेलसिंह टांगी पासा से मार रहा था । इस साक्षी ने बताया है कि वह जाकर देखी तो उनके घर के कोने के पास गली में उसके पति बेहोश पड़े थे और सिर में चोट लगा था, जिससे खून बह रहा था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि वह अपने पुत्री के साथ अपने पति को उठाकर घर के भीतर ले गयी फिर 112 फोन करके बुलवाये तथा उसके पति का ईलाज करवाने हेतु घरघोड़ा अस्पताल लेकर गये थे, ईलाज के दौरान शाम लगभग 05:00 बजे उसकी मृत्यु हो गयी । इस साक्षी ने बताया है कि उसके पति की मृत्यु अभियुक्त तेलसिंह राठिया के द्वारा टांगी से सिर पर मारने से हुई थी तथा वे लोग थाना में फोन करके घटना की सूचना दिये और उसका भतीजा नरेश थाने जाकर घटना की सूचना दिया था ।

18. **कृष्णा राठिया (अ.सा.5)** ने भी बताया है कि मृतक उसका चाचा है एवं अभियुक्त उसका रिश्ते में चाचा है । इस साक्षी ने भी बताया है कि घटना

उसके बयान दिनांक 27.03.2026 से लगभग 3 वर्ष पूर्व की है, वह अपने खेत में खेत जोताई के लिए गया हुआ था लगभग दोपहर 12:00 बजे उसे उसकी माँ पांचो बाई बतायी कि तेरे चाचा मृतक समुंदर राठिया को अभियुक्त तेल सिंह ने मार दिया है तब वह घर आया और देखा तो उस समय मृतक समुंदर राठिया बेहोश पडा था जिसके सिर में चोट आयी थी । इस साक्षी ने बताया है कि बाद मे उसे पता चला कि अभियुक्त तेल सिंह ने टांगी से मृतक को मारा था तब वह डॉयल 112 में मृतक समुन्दर को लेकर अपनी चाची एवं माँ के साथ घरघोड़ा अस्पताल लेकर आया था जहाँ ईलाज के दौरान मृतक समुंदर की मृत्यु हो गई थी।

19. **परमानंद राठिया (अ.सा.7)** ने भी बताया है कि अभियुक्त एवं मृतक रिश्ते में उसके चाचा हैं तथा घटना उसके बयान दिनांक 27.04.2026 से लगभग 3–4 वर्ष पूर्व दोपहर के समय की है। इस साक्षी ने बताया है कि घटना के समय वह अपने घर में था तब नरेश ने उसे आकर बताया कि अभियुक्त तेलसिंह ने समुंदर राठिया को टांगी से मार दिया है तब घटना की सूचना मिलने पर वह मृतक के घर गया तो देखा कि मृतक घर के आंगन में पड़ा हुआ था, तथा उसे घरघोड़ा अस्पताल लेकर गये थे और उसी दिन शाम के समय अस्पताल में समुंदर राठिया की मृत्यु हो गई थी ।

20. **परमानंद राठिया (अ.सा.7)** ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक 09.08.2021 को दोपहर करीब 12:00 बजे वह अपने घर पर था तभी समुंदर राठिया के घर कोलकी में लड़ाई–झगड़ा होने का आवाज आ रहा था और अचानक हल्ला बंद हो गया तो वह घर से निकल कर देखा तो गली में समुंदर राठिया बेहोश पड़ा था तब वह वापस आकर देखा तो समुंदर के सिर में चोट लगी थी और खून निकल रहा था । इस साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसी समय नरेश राठिया, नरेश राठिया की पत्नी, समुंदर की पत्नी तथा अन्य कई लोग आ गये थे और नरेश बताया था कि तेल सिंह अपने बोर में पत्थर डाल दिये हो कहकर झगड़ा कर रहा था और उसी बात को लेकर तेल सिंह ने समुंदर राठिया को टांगी से मार दिया और मारने के बाद भाग गया है ।

21. **परमानंद राठिया (अ.सा.7)** ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके बाद 112 गाड़ी को बुलवाये थे तथा नरेश राठिया चौकीदार तथा समुंदर की पत्नी लोगों के साथ समुंदर राठिया को घरघोड़ा अस्पताल लेकर गये थे और अस्पताल में भर्ती किये थे जहां शाम को लगभग 05:30 बजे उसकी मृत्यु को गई थी । अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तेलसिंह राठिया के द्वारा टांगी से समुंदर राठिया

के सिर में मारने के कारण आयी चोट के कारण समुंदर राठिया की मृत्यु हुई है ।

22. उक्त समस्त अभियोजन साक्षियों ने बताया है कि टांगी से मारने के परिणामस्वरूप मृतक के सिर में चोट आयी थी और उसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा ले जाकर भर्ती किये थे, जहाँ उपचार के दौरान उसी दिन शाम को 05:00–06:00 बजे के लगभग मृतक की मृत्यु हो गई थी । नरेश राठिया (अ.सा.2) ने बताया है कि उसने घटना की सूचना थाना–घरघोड़ा में दी थी, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दर्ज किया गया था, जिसकी पुष्टि मृतक की पत्नी केवरा बाई (अ.सा.1) ने भी की है ।

23. **प्रधान आरक्षक मनोज मरावी (अ.सा.12)** ने भी बताया है कि दिनांक 09.08.2021 को सूचक नरेश राठिया द्वारा थाना–घरघोड़ा में सूचना दिया गया कि आज लगभग 12:00 बजे उसके चाचा मृतक समुंदर राठिया एवं अभियुक्त तेलसिंह राठिया के बीच बोर के पाईप में पत्थर डालने की बात पर वाद विवाद शुरू हुआ तथा अभियुक्त तेलसिंह ने हत्या करने की नियत से मृतक समुंदर राठिया के सिर में टांगी के पासा से प्राण घातक चोट पहुंचाया है जिसे उसकी पत्नी सुलोचना, चाची केवरा एवं बहन रमा ने देखा है । इस साक्षी ने भी बताया है कि सूचक की उक्त सूचना के आधार पर उसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध थाना–घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 253/2021 धारा 294, 506 बी, 307 भा.दं.सं. के

तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी–1** पंजीबद्ध किया गया था ।

24. घटना दिनांक 09.08.2021 को दोपहर 12:00 बजे की है एवं उक्त दिनांक को ही 16:10 बजे अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिससे सोच–विचार कर मिथ्या रिपोर्ट लिखवाये जाने की संभावना दर्शित नहीं होती है ।

25. अभियोजन साक्षियों के कथनों से दर्शित होता है कि घटना के तत्काल पश्चात् डॉयल 112 वाहन बुलाकर उससे समुंदर राठिया को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा लेकर गये थे । **डॉ. रंजना तिर्की (अ.सा.10)** ने भी बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में उसके चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 09.08.2021 को दोपहर 02.30 बजे थाना–घरघोड़ा के आरक्षक क्रमांक 358 मनोज मरावी के द्वारा आहत समुंदर राठिया पिता कार्तिक राम राठिया, उम्र–45 वर्ष, निवासी–बस्तीपाली को मुलाहिजा हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस साक्षी ने बताया है कि उसने परीक्षण करने पर पाया कि आहत बेहोश था, जिसके सिर के सामने फ्रंटोपरायटल हिस्से में लगभग 4X2 सें.मी. आकार का लेस्टरेटेड वुण्ड था तथा आहत के मुंह एवं नाक से शराब की गंध आ रही थी।

26. **डॉ. रंजना तिर्की (अ.सा.10)** ने मुलाहिजा रिपोर्ट **प्रदर्श पी–10** की

पुष्टि करते हुए बताया है कि उसके मतानुसार आहत के सिर में गंभीर चोट आयी थी जो कि कडे एवं भोथरे औजार से आना प्रतीत हो रही थी एवं आहत के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संकटापन्न थी। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा आहत के सी.टी.स्कैन हैड कराने की सलाह दी गई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि कोई व्यक्ति शराब के नशे में हो और चलते हुए सिर के बल गिर जाये तो आहत को आयी चोट जैसी चोट आ सकती है । इस साक्षी ने बताया है कि किसी वस्तु से मारने पर ही उक्त चोट आ सकती है । इस साक्षी के कथनों एवं मुलाहिजा रिपोर्ट **प्रदर्श पी–10** से स्पष्ट है कि आहत समुंदर राठिया के सिर में गंभीर चोट आयी थी एवं उक्त चोट किसी वस्तु से मारने के परिणामस्वरूप ही कारित हो सकती है ।

27. **विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15)** ने बताया है कि दिनांक 09.08.2021 को उसके द्वारा सहायक शल्य चिकित्सक सी.एच.सी. घरघोड़ा को तहरीर **प्रदर्श पी–19** प्रेषित कर पूछा गया था कि उपचार हेतु भर्ती समुंदर राठिया का मरणासन्न कथन कराया जाना आवश्यक है, क्या आहत कथन देने योग्य है तब उक्त तहरीर के पृष्ठ भाग पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिमत दिया गया था कि आहत मरणासन्न कथन देने हेतु असमर्थ है।

28. तत्संबंध में विवेचना अधिकारी के कथनों की पुष्टि करते हुए **डॉ. रंजना**

तिर्की (अ.सा.10) ने भी बताया है कि दिनांक 09.08.2021 को दोपहर 02:30 बजे आरक्षक क्रमांक 1156 यू .एस.भगत के द्वारा थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा प्रेषित तहरीर प्रस्तुत की गई थी जिसमें थाना प्रभारी द्वारा अभिमत मांगा गया था कि आहत समुंदर राठिया पिता कार्तिक राम राठिया, उम्र–45 वर्ष, निवासी–बस्तीपाली थाना–घरघोड़ा आपके अस्पताल में सिर में गंभीर चोट लगने से भर्ती है जिसका मरणासन्न कथन कराया जाना आवश्यक है, क्या आहत कथन देने योग्य है। इस साक्षी ने अभिमत **प्रदर्श पी–11** की पुष्टि करते हुए बताया है कि उसके द्वारा आहत का परीक्षण कर यह राय दिया गया था कि आहत बहुत गंभीर स्थिति में है, बेहोश है तथा मरणासन्न कथन देने में असमर्थ है। तत्संबंध में इस साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं । अतः स्पष्ट है कि उपचार के दौरान बेहोश होने एवं चोटों के कारण स्थिति गंभीर होने के कारण समुंदर राठिया बयान देने हेतु सक्षम नहीं था ।

29. **प्रधान आरक्षक मनोज मरावी (अ.सा.12)** ने बताया है कि दिनांक 09.08.2021 को 18:00 बजे सूचनाकर्ता पंकज कुमार वैष्णव वार्ड ब्वाय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा के द्वारा मृतक समुंदर राठिया पिता कार्तिक राम राठिया, निवासी–बस्तीपाली थाना–घरघोड़ा का ईलाज के दौरान मृत्यु की सूचना के संबंध में डॉ. रंजना तिर्की द्वारा प्रेषित एक लिखित तहरीर मर्ग कायम

किये जाने हेतु भेजी गई थी, जिसके आधार पर उसके द्वारा थाना–घरघोड़ा के मर्ग क्रमांक 70/2021 धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत मर्ग इंटीमेशन **प्रदर्श पी–14** लेखबद्ध किया गया था । मर्ग इंटीमेशन **प्रदर्श पी–14** से भी दर्शित होता है कि दिनांक 09.08.2021 को ही 18:00 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा में उपचार के दौरान समुंदर राठिया की मृत्यु हुई है ।

30. **विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15)** ने बताया है कि उसने मृतक के वारिसानों एवं पंचानों को मृत्यु जाँच में उपस्थित होने हेतु नोटिस **प्रदर्श पी–3** देकर उनकी उपस्थिति में नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी–4** तैयार किया था तथा शव के निरीक्षण के दौरान पाया था कि मृतक की मृत्यु अभियुक्त तेलसिंह राठिया के द्वारा टांगी के पासा से उसके सिर में मारने के परिणामस्वरूप हुई है तथा तेलसिंह राठिया द्वारा आहत की हत्या कारित करना प्रतीत हो रहा था किन्तु वारिसानो एवं पंचानो द्वारा मृत्यु का सही कारण जानने हेतु मृतक के शव के पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गई । इस साक्षी ने भी बताया है कि उसके द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को सुपुर्दनामा पर देने हेतु आरक्षक क्रमांक 453 नरेन्द्र पैंकरा को कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी–18** देकर शव के पोस्टमार्टम हेतु चिकित्सा अधिकारी को तहरीर **प्रदर्श पी–21** प्रेषित किया था ।

31. **नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने भी बताया है कि पुलिस वाले उसे मृतक के नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु नोटिस **प्रदर्श पी–3** देकर उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही किये थे । **कृष्णा राठिया (अ.सा.5)** एवं **परमानंद राठिया (अ.सा.7)** ने भी बताया है कि पुलिस वाले उसे मृतक के नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु नोटिस **प्रदर्श पी–3** देकर उनके समक्ष नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी–4** की कार्यवाही किये थे । **परमानंद राठिया (अ.सा.7)** ने यह भी बताया है कि पुलिस वाले मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे।

32. **आरक्षक नरेन्द्र कुमार पैंकरा (अ.सा.14)** ने भी बताया है कि दिनांक 10.08.2021 को थाना प्रभारी घरघोड़ा के निर्देश पर मृतक समुंदर राठिया पिता स्व.कार्तिकराम राठिया निवासी–बस्तीपाली थाना–घरघोड़ा का शव, शव परीक्षण हेतु चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा के समक्ष लेकर प्रस्तुत किया था तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किये जाने के पश्चात उसके द्वारा मृतक के परिजन नरेश राठिया को मृतक का शव सुपुर्दनामा **प्रदर्श पी–17** के अनुसार सुपुर्दनामें पर दिया था एवं शव परीक्षण कराये जाने के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा उसे प्रदान किये गये कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी–18** के पृष्ठ भाग में उसने वापसी आमद दर्ज कर उसके अ से अ भाग पर

अपना हस्ताक्षर किया था ।

33. मृतक के शव के नक्शा पंचायतनामा **प्रदर्श पी–4** की कार्यवाही एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने के संबंध में उक्त अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है, जिससे उनके कथनों पर अविश्वास किया जावे ।

34. **डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11)** ने भी बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में पदस्थ रहने के दौरान दिनांक 10.08.2021 समय 10:30 बजे आरक्षक क्रमांक 453 नरेन्द्र पैंकरा के द्वारा मृतक समुंदर राठिया पिता कार्तिक राम राठिया, उम्र–लगभग 42 वर्ष, निवासी–बस्तीपाली, थाना–घरघोड़ा का शव, शव विच्छेन हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा शव की पहचान नरेश राठिया पिता मोहरसिंह राठिया, महेश्वर राठिया पिता श्यामसुंदर राठिया एवं परमानंद राठिया पिता रत्थु राठिया द्वारा की गयी थी । इस साक्षी ने बताया है कि उसके द्वारा समय 10:40 बजे पोस्टमार्टम शुरू किया गया तथा पोस्टमार्टम करने पर निम्नानुसार पाया गया–

1. **बाह्य परीक्षण**–मृतक के आँखों की पुतलियां फैली हुई थी । मुंह बंद था । मृतक का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। मृतक के शरीर पर लाल रंग की शर्ट एवं हरे रंग के अण्डर वियर

थी । मृतक के दांयी कलाई में एक रक्षा सूत्र था और गले में एक ताबीज व काला धागा बंधा हुआ था । **मृतक के सिर के दांये हिस्से में एक गहरा घाव था जिस पर टांके लगे हुए थे जिसका आकार 4x3x2.5 से.मी. था ।** वीर्य स्खलित हो चुका था ।

2. आंतरिक परीक्षण–उसके द्वारा 11:15 बजे आंतरिक परीक्षण प्रारंभ किया गया । **मृतक की खोपड़ी के दांये हिस्से (पेराईटल रिजन) की हड्डी टूटी हुई थी। सिल्ली फटी हुई थी एवं मस्तिष्क में आंतरिक रक्त स्त्राव था ।** परदा, पसली, कंठ, श्वास नली, दांया एवं बांया फेफड़ा कनजेस्टेड थे। हृदय के दोनों चेम्बर में खून भरा हुआ था । वृहद वाहिका, परदा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रासनली कनजेस्टेड थे । अमाशय कनजेस्टेड एवं खाली था । छोटी आंत कनजेस्टेड थी एवं पचा हुआ भोजन मौजूद था। बड़ी आंत, यकृत,प्लीहा, गुर्दा एवं मुत्राश तथा भीतरी एवं बाहरी जनेन्द्रिया कनजेस्टेड थे ।

प्रिजर्व वस्तु– उसके द्वारा मृतक के लाल काले रंग के गमछा जिसमें खून जैसे धब्बा लगे थे जिसकी लंबाई 68 सें.मी. एवं

चौड़ाई 24 सें.मी. थी को रासायनिक परीक्षण हेतु उक्त आरक्षक को दिया गया था ।

35. **डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11)** ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श पी–12** की पुष्टि करते हुए बताया है कि मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने से सिर में आंतरिक रक्त स्त्राव के कारण हुई थी तथा मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 16 से 18 घण्टे पहले का था एवं मृतक की मृत्यु की प्रकृति का हत्यात्मक थी । तत्संबंध में इस साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं ।

36. **डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11)** के कथनों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श पी–12** से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु सिर में आयी चोट के कारण आंतरिक रक्तस्त्राव हुई थी एवं उसकी मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है ।

37. घटना दिनांक 09.08.2021 को दोपहर 12:00 बजे की है तथा घटना के तत्काल पश्चात् उक्त दिनांक को मृतक समुंदर राठिया को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा ले जाया गया है, जहाँ **डॉ. रंजना तिर्की (अ.सा.10)** ने उसका उपचार कर उसके सिर में गंभीर चोट होना तथा उसके बेहोश होने के कारण उसे मरणासन्न कथन देने हेतु असमर्थ होना पाया है एवं गिरने के परिणामस्वरूप उक्त चोट नहीं आ सकना तथा किसी वस्तु से मारने पर ही उक्त चोट आना बताया गया है । उपचार के दौरान दिनांक 09.08.2021 को

ही 18:00 बजे मृतक की मृत्यु हुई है एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श पी–12** से भी सिर में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु होना पाते हुए मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होने के संबंध में अभिमत दिया गया है । उक्त समस्त तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि दिनांक 09.08.2021 को दोपहर 12:00 बजे हुई घटना के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है एवं उसकी मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है ।

38. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा टांगी से मारने के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है ?

39. **विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15)** ने बताया है कि उसने दिनांक 09.08.2021 को 17:50 बजे घटना स्थल से साक्षी रेशम लाल राठिया एवं रामसिंह के समक्ष 100 ग्राम खून आलूदा मिट्टी एवं घटना स्थल के पास से करीब 100 ग्राम सादी मिट्टी को पृथक–पृथक सीलबंद कर जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–6** के अनुसार जप्त किया था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 10.08.2021 को अभियुक्त का मेमोरंडम लिये जाने के दौरान उपस्थित रहने हेतु साक्षी रेशम लाल एवं रामसिंह राठिया को धारा 160 दं.प्र.सं. के तहत नोटिस **प्रदर्श पी–5** देकर उनकी उपस्थिति में दिनांक 10.08.2021 को 13:20 बजे ग्राम बस्तीपाली में अभियुक्त तेलसिंह राठिया से

पूछताछ कर उसका मेमोरंडम **प्रदर्श पी–7** लेखबद्ध किया गया जिसमे अभियुक्त तेलसिंह राठिया ने खेत के बोर में पत्थर डालने की बात को लेकर विवाद होने के कारण लोहे की टांगी से समुंदर राठिया के सिर में मारना स्वीकार कर घटना स्थल से भागना बताया गया एवं घटना में प्रयुक्त टांगी को घर के पीछे बाड़ी में छिपाना तथा बरामद कराना स्वीकार किया गया ।

40. **उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15)** ने यह भी बताया है कि दिनांक 10.08.2021 को 14:10 बजे अभियुक्त के मेमोरंडम के आधार पर उसके द्वारा ग्राम–बस्तीपाली स्थित अपने घर के पीछे से निकाल कर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टांगी जिसमें लकडी का बेंठ लगा हुआ था तथा टांगी व बेंठ में खून जैसे दाग लगे थे, बेंठ की लम्बाई 70 सें.मी., बेंठ की मोटाई 10 सें.मी., लोहे की टांगी पासा से धार तक की लम्बाई 17 सें.मी., धार की चौडाई 6 सें.मी. को गवाह रेशमलाल राठिया एवं रामसिंह राठिया के समक्ष जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–8** के अनुसार जप्त कर सीलबंद किया गया था ।

41. **विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15)** ने बताया है कि उसने प्रकरण में जप्तशुदा टांगी को तहरीर **प्रदर्श पी–23** के माध्यम से क्वेरी हेतु चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा के समक्ष प्रेषित किया था एवं यह क्वेरी किया था कि क्या उक्त टांगी से मृतक को आयी चोट आ

सकती है एवं उससे मृत्यु हो सकती है ।

42. **डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11)** ने भी तत्संबंध में विवेचना अधिकारी के कथनों की पुष्टि करते हुए बताया है कि दिनांक 11.08.2021 को आरक्षी केंद्र घरघोड़ा के आरक्षक क्रमांक 1140 परमेश्वर साव द्वारा थाना प्रभारी के तहरीर सहित एक टांगी परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था । इस साक्षी ने बताया है कि उसके द्वारा परीक्षण करने पर पाया गया कि वह एक टांगी था जिसमें लकड़ी का बेंठ लगा था, जिसकी कुल लंबाई 70 से.मी., पासे की लंबाई 3.2 से.मी., लकड़ी के बेंठ की चौड़ाई 10 से.मी. एवं पासे की चौड़ाई 17 से.मी. थी । इस साक्षी ने क्वेरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी–13** की पुष्टि करते हुए बताया है कि उसके द्वारा परीक्षण उपरांत अभिमत दिया गया कि मृतक को आई चोंट उक्त प्रकार के टांगी से आना संभव है तथा उससे मृत्यु कारित हो सकती है तथा टांगी में रक्त के सामान धब्बे टांगी के बेंठ एवं पासा में पाये गये थे जिसके संबंध में उसके द्वारा रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गयी थी ।

43. क्वेरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी–13** के संबंध में **डॉ. अजय कुमार राठिया (अ.सा.11)** के कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं । प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट **प्रदर्श पी–25** प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शित होता है कि उक्त टांगी में "ओ" समूह का मानव रक्त पाया गया है तथा घटनास्थल से जप्त मिट्टी में रक्त पाया

गया है । उक्त तथ्य भी प्रकरण में जप्तशुदा टांगी से घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हैं ।

44. तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15) के कथनों एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6, मेमोरंडम प्रदर्श पी–7 व जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–8 से दर्शित होता है कि उक्त कार्यवाही स्वतंत्र साक्षी रेशम लाल राठिया (अ.सा.8) एवं रामसिंह राठिया (अ.सा.9) के समक्ष की गई थी । **रेशम लाल राठिया (अ.सा.8)** एवं **रामसिंह राठिया (अ.सा.9)** ने जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–6**, मेमोरंडम **प्रदर्श पी–7** व जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–8** के क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर अपने–अपने हस्ताक्षर की पुष्टि तो की है, किंतु उन्होंने पुलिस द्वारा नोटिस **प्रदर्श पी–5** दिये जाने तथा उनके समक्ष जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–6** के अनुसार खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी जप्त किये जाने तथा अभियुक्त से पूछताछ कर उसका मेमोरंडम **प्रदर्श पी–7** लेखकर उसकी निशानदेही पर जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–8** के अनुसार अभियुक्त से उनके समक्ष टांगी जप्त किये जाने से इंकार किया है । अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षियों ने उक्त कार्यवाही का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है ।

45. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त के मेमोरंडम के आधार पर टांगी जप्त होने की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों

द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

46. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क समीचीन है कि मेमोरंडम एवं जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण **रेशम लाल राठिया (अ.सा.8)** एवं **रामसिंह राठिया (अ.सा.9)** ने उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है किंतु प्रकरण में आये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मेमोरंडम एवं जप्ती कार्यवाही के पूर्व उक्त दोनों ही साक्षियों को नोटिस **प्रदर्श पी–5** दी गई है, जिसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–6**, मेमोरंडम **प्रदर्श पी–7** व जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–8** के क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर भी उक्त दोनों साक्षियों ने अपने–अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है । उक्त दस्तावेजों पर विवेचना अधिकारी द्वारा दबावपूर्वक उनके हस्ताक्षर कराये गये हो, ऐसा कोई कथन उक्त दोनों साक्षियों ने नहीं किया है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 एवं प्रदर्श पी–8 के अनुसार जप्ती उपरांत जप्तशुदा वस्तुओं को सीलबंद किये जाने के संबंध में उक्त जप्ती पत्रकों पर सील नमूना भी इंद्राज किया गया है । उक्त कार्यवाही के संबंध में विवेचना अधिकारी तत्कालीन उप निरीक्षक एडमोन खेस (अ.सा.15) के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त के विरुद्ध जान बुझकर मिथ्या दस्तावेज तैयार किये गये हैं ।

47. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में भले ही मेमोरंडम एवं जप्ती के कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, किंतु प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा मृतक को टांगी से मारकर उसे चोट पहुंचाने एवं उसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु होने की पुष्टि की है ।

48. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्यायदृष्टांत **Naresh v. State of Haryana, 2023 SCC OnLine SC 1274** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "sterling witness" की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में कंडिका 16 में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है जो निम्नानुसार है–

> **16.** As noticed hereinabove, the evidence of the eyewitness should be of very sterling quality and calibre and it should not only instil confidence in the court to accept the same but it should also be a version of such nature that can be accepted at its face value. This Court in Rai Sandeep v. State (NCT of Delhi) [Rai Sandeep v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 : (2012) 3 SCC (Cri) 750] has held : (SCC p. 29, para 22)

“22 In our considered opinion, the “sterling witness” should be of a very high quality and calibre whose version should, therefore, be unassailable. The court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross–examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as the sequence of it. Such a version should have co–relation with each and

every one of other supporting material such as the recoveries made, the weapons used, the manner of offence committed, the scientific evidence and the expert opinion. The said version should consistently match with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to the test applied in the case of circumstantial evidence where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offence alleged against him. Only if the version of such a witness qualifies the above test as well as all other such similar tests to be applied, can it be held that such a witness can be called as a "sterling witness" whose version can be accepted by the court without any corroboration and based on which the guilty can be punished. To be more precise, the version of the said witness on the core spectrum of the crime should remain intact while all other attendant materials, namely, oral, documentary and material objects should match the said version in material particulars in order to enable the court trying the offence to rely on the core version to sieve

the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged."

49. उक्त सम्मानीय न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है ।

50. **नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त उसके बोर के पाईप में मृतक पत्थर डाल दिया है कहकर गंदी–गंदी गालियां देते हुए इधर–उधर घूम रहा था तब उसने अभियुक्त को कहा कि बिना मतलब गाली–गलौज क्यों कर रहे हो तुम्हारे बोर में कोई बदमाशी नहीं किया है तब अभियुक्त उसके साथ गाली–गलौज कर उससे विवाद करने लगा तब वह वहाँ से चला गया, उसी समय मृतक समुंदर वहाँ आया तब उसने मृतक को मना किया कि अभियुक्त मारपीट करने के लिए उतारू है, उधर मत जाओ किंतु मृतक उसकी बात नहीं सुना और अभियुक्त को मना करते हुए उसके पास गया तब अभियुक्त ने टांगी के पासा से मृतक को मारा था, जिससे मृतक वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था । इस साक्षी ने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी–1** दर्ज कराये जाने की पुष्टि भी की है ।

51. **नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि मृतक समुंदर ने अभियुक्त तेलसिंह को यह कहते हुए कि तेरे बोर में कौन पत्थर डाला है, उसका नाम बता नहीं तो तुझे यहीं पर डण्डे से मार–

मारकर खतम कर दूंगा कहते हुए डण्डा पकड़कर दौड़ा रहा था और जब मृतक समुंदर अभियुक्त को डण्डे से मारने के लिए आया तब अभियुक्त उस डण्डे को पकड़कर छुड़ा रहा था तभी समुंदर जमीन पर गिर गया और उसे पत्थर से चोट कारित हुआ था ।

52. **नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना को होते हुए उसके अलावा और कोई नहीं देखा था । इस साक्षी ने स्वतः बताया है कि गाँव के बहुत सारे लोग आये थे और रामसिंह राठिया, तुलसी सारथी, सुरेन्द्र राठिया, महेश राठिया एवं परमानंद राठिया लोग उपस्थित थे । इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्त तेलसिंह के बोर में गाँव का कोई व्यक्ति कंकड़ पत्थर डाल दिया था, जिसके कारण उसके बोर में पानी नहीं आ रहा था । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं लाया गया है, जिससे घटना के संबंध में उसके कथनों पर अविश्वास किया जावे । घटना के संबंध में इस साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 एवं पुलिस कथन में कोई महत्वपूर्ण एवं तात्विक भिन्नता नहीं है।

53. **रमला बाई राठिया (अ.सा.3)** जो कि घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है, उसने भी बताया है कि मृतक एवं अभियुक्त के मध्य लड़ाई–झगड़ा हो रहा था तब

वह मना की थी, किंतु वे लोग नहीं माने और अभियुक्त ने अचानक लोहे की टांगी से मृतक के सिर में मारा और वहाँ से भाग गया । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त के द्वारा टांगी से मृतक के सिर में मारने के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी और उसने अभियुक्त के द्वारा मृतक को टांगी से मारते हुए देखा था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि समुंदर राठिया जमीन पर गिरा तो जमीन पर रखे पत्थर से उसका सिर टकरा गया था और उसके कारण उसे चोट लगी थी । इस साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्त के द्वारा टांगी से समुंदर राठिया के सिर पर नहीं मारा गया है। अभियुक्त द्वारा टांगी से मृतक के सिर में मारने के संबंध में इस साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं ।

54. **सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4)** ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभियुक्त गाली–गलौज कर रहा था तब वह अपने पति नरेश राठिया को बुलाने गई थी उसी समय अभियुक्त मेरे बोर में तुम पत्थर डाल दिये हो कहकर मृतक के साथ गाली–गलौज कर रहा था और जैसे ही वह अपने पति को घर चलो बोली तो उसी समय अभियुक्त लोहे की टांगी को लेकर आया और मृतक समुंदर के सिर में मारा, जिससे वह गिरकर बहोश हो गया तथा अभियुक्त टांगी लेकर वहाँ से भाग गया । इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है

कि मृतक समुंदर अभियुक्त तेलसिंह को टांगी से मारने के लिए दौड़ाया था और तब अभियुक्त बचने के लिए अपने बचाव में मृतक को धक्का दिया, जिससे वह सिर के बल गिर गया और गिरने के कारण पत्थर लगने के कारण मृतक के सिर में चोट आयी थी । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे उसके कथनों पर अविश्वास किया जावे ।

55. **उर्मिला राठिया (अ.सा.6)** ने भी बताया है कि झगड़ा की आवाज सुनकर वह आयी तब देखी कि अभियुक्त टांगी लेकर जा रहा था तथा मृतक वहीं पर पड़ा था और उसके सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था तथा अभियुक्त द्वारा टांगी से मारने के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी । इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि समुंदर राठिया को गिरने से पत्थर पर टकराने के कारण सिर में चोट आयी थी । हालांकि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त द्वारा मृतक को मारते हुए नहीं देखा है, किंतु उसने यह बताया है कि अभियुक्त वहां से टांगी लेकर जा रहा था । लड़ाई–झगड़ा की आवाज सुनकर इस साक्षी का बाहर आना एवं मृतक के सिर में चोट लगने के कारण उसे जमीन पर गिरा हुआ देखना और वहीं पर अभियुक्त को टांगी लेकर जाते हुए देखना घटना में अभियुक्त की संलिप्तता को प्रमाणित करता है ।

56. **उर्मिला राठिया (अ.सा.6)** ने बताया है कि उसने तत्काल अपनी

चाची केवरा बाई जो कि खेत में थी को जाकर घटना की सूचना दिया था । मृतक की पत्नी **केवरा बाई (अ.सा.1)** ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उर्मिला ने आवाज दिया था कि रमा की माँ जल्दी आओ रमा के पापा को अभियुक्त तेलसिंह टांगी के पासा से मार रहा था तब वह जाकर देखी तो उसके पति बेहोश पड़े थे और उनके सिर में चोट लगा था, जिससे खून बह रहा था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पति शराब पीकर टांगी के ऊपर गिर गये थे, जिस कारण उनके सिर में चोट आयी थी ।

57. **कृष्णा राठिया (अ.सा.5)** ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसे उसकी माँ पांचो बाई बतायी थी कि अभियुक्त ने तेरे चाचा समुंदर राठिया को मार दिया है तब वह घर आया तो मृतक बेहोश पड़ा था और उसके सिर में चोट आया था तथा उसे पता चला कि अभियुक्त ने टांगी से मृतक को मारा था ।

58. **परमानंद राठिया (अ.सा.7)** ने भी बताया है कि नरेश ने उसे आकर बताया था कि अभियुक्त ने टांगी से मृतक को मार दिया है । अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घर में था तब समुंदर राठिया के घर के कोलकी में लड़ाई–झगड़ा होने की आवाज आ रही थी और अचानक हल्ला बंद हुआ तो वह घर से निकल कर देखा तो गली में समुंदर राठिया बेहोश पड़ा था और उसके सिर में चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा

था तथा नरेश राठिया, नरेश राठिया की पत्नी एवं समुंदर राठिया की पत्नी और अन्य कई लोग आये थे और नरेश ने बताया था कि तेलसिंह अपने बोर में पत्थर डाल दिये हो कहकर झगड़ा कर रहा था और उसी बात को लेकर अभियुक्त तेलसिंह ने समुंदर राठिया को टांगी से मारा था और उसके बाद अभियुक्त वहाँ से भाग गया था और सिर में आयी चोट के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी । इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि जमीन पर गिरने से पत्थर में टकराने के कारण मृतक के सिर में चोट आयी थी ।

59. घटना के संबंध मे नरेश राठिया (अ.सा.2), रमला बाई राठिया (अ.सा.3), सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4) एवं उर्मिला राठिया (अ.सा.6) के कथनों में कोई महत्वपूर्ण एवं तात्विक विरोधाभाष नहीं है । उक्त सभी साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा टांगी से मृतक के सिर मारने एवं उसके परिणामस्वरूप मृतक के सिर में चोट आने के कारण मृतक के घटनास्थल पर गिर जाने और उसके सिर से खून बहने तथा अभियुक्त के वहाँ से भाग जाने की पुष्टि की है । उक्त समस्त साक्षीगण मृतक एवं अभियुक्त दोनों के रिश्तेदार है तथा उनके प्रतिपरीक्षण में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है, जिससे यह दर्शित हो कि उनकी अभियुक्त के साथ कोई पूर्व वैमनस्यता या रंजिश हो ।

60. मृतक की पत्नी केवरा बाई (अ.सा.1), कृष्णा राठिया (अ.सा.5) एवं

परमानंद राठिया (अ.सा.7) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटना की सूचना मिलने पर जब वे लोग मौके पर आये तब अभियुक्त के सिर में चोट थी और वह घटनास्थल पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था, जिसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा लेकर गये थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उक्त सभी साक्षियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्हें इस बात की जानकारी हुई थी कि अभियुक्त ने मृतक को टांगी से मारा था।

61. केवरा बाई (अ.सा.1), नरेश राठिया (अ.सा.2), रमला बाई राठिया (अ.सा.3), सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4), कृष्णा राठिया (अ.सा.5), उर्मिला राठिया (अ.सा.6) एवं परमानंद राठिया (अ.सा.7) उक्त सभी साक्षियों ने गिरने के परिणामस्वरूप पत्थर में टकराने से मृतक के सिर में चोट आने के संबंध में बचाव पक्ष के सुझाव से इंकार किया है। घटना के संबंध में उक्त सभी साक्षियों के कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं।

62. नरेश राठिया (अ.सा.2) ने इस बात की पुष्टि की है कि अभियुक्त उसके बोर में कोई पत्थर डाल दिया है कहकर गंदी–गंदी गालियां दे रहा था और उसी समय मृतक ने उसे मना किया तो अभियुक्त ने टांगी के पासा से मृतक के सिर में मारा था, जिससे मृतक को चोट आयी थी और उपचार के दौरान घटना दिनांक को उसकी मृत्यु हो गई थी।

63. घटना के तत्काल पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा अभियुक्त को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा में भर्ती कराया गया था । डॉ. रंजना तिर्की (अ.सा.10) ने मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 देते हुए आहत/मृतक समुंदर राठिया के सिर में कड़े एवं भोथरे औजार से गंभीर चोट आना एवं उक्त चोट उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए सकंटापन्न होने के संबंध में अभिमत देते हुए बताया है कि भर्ती रहने के दौरान आहत की स्थिति गंभीर थी और वह बेहोश था तथा मरणासन्न कथन देने में असमर्थ था । घटना दिनांक को ही 18:00 बजे उपचार के दौरान मृतक की मृत्यु हुई है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 से प्रमाणित है कि सिर में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्त्राव से मृतक की मृत्यु हुई थी एवं उसकी मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी । उक्त समस्त तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि अभियुक्त द्वारा टांगी से मारने के परिणामस्वरूप सिर में आयी चोट के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी ।

64. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त का आशय हत्या कारित नहीं था, अपितु उसके बोर में किसी ने पत्थर डाल दिया था, इसलिए अचानक प्रकोपन के कारण घटना घटित हुई है ।

65. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के परिशीलन से स्पष्ट है कि बचाव पक्ष द्वारा स्वयं कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

गया है, जिससे यह दर्शित हो कि क्या वास्तव में अभियुक्त के बोर में किसी ने पत्थर डाला था । **नरेश राठिया (अ.सा.2)** ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त उसके बोर में समुंदर राठिया पत्थर डाल दिया है कहकर गाली–गलौज कर इधर–उधर घूम रहा था, तब उसने मना किया था कि तुम्हारे बोर में किसी ने बदमाशी नहीं किया है तब अभियुक्त उसके साथ भी गाली–गलौज करते हुए विवाद करने लगा था तब वह वहाँ से चला गया उसी समय मृतक वहाँ पर आया तब उसने मना किया कि अभियुक्त मारपीट करने के लिए उतारू है और उसके हाथ टांगी रखा है उधर मत जाओ तब अभियुक्त को मना करते हुए मृतक उसके पास गया तो अभियुक्त ने मृतक के सिर में टांगी के पासा से मारा था और उसके बाद अभियुक्त वहाँ से भाग गया था ।

66. **रमला बाई राठिया (अ.सा.3)** को स्वयं बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त एवं मृतक के मध्य पूर्व से रंजिश चली आ रही थी, जिसे इस साक्षी ने स्वीकार किया है । इसी प्रकार **सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4)** को बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त एवं मृतक के मध्य पूर्व से जमीन संबंधी विवाद चला आ रहा था, जिसे इस साक्षी ने स्वीकार किया है । बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में अभियोजन साक्षियों को स्वयं यह सुझाव दिया जाना कि अभियुक्त एवं मृतक के मध्य पूर्व से

रंजिश थी, अभियुक्त एवं मृतक के मध्य पूर्व विवाद के तथ्य को दर्शित करता है ।

67. अभियुक्त एवं मृतक के मध्य पूर्व से विवाद होना, घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा यह कहते हुए कि मृतक ने उसे बोर में पत्थर डाल दिया है गाली—गलौज करते हुए टांगी लेकर आना, नरेश राठिया द्वारा समझाये जाने पर भी नहीं मानना एवं उसके बाद मृतक द्वारा मना करने पर भी अभियुक्त द्वारा टांगी से मृतक के सिर जो कि शरीर का एक अत्यंत ही मार्मिक अंग है में मारना और मृतक के सिर में चोट लगने के कारण उसके घटनास्थल पर बेहोश होकर गिर जाने पर अभियुक्त का वहाँ से भाग जाना उक्त समस्त तथ्य यह दर्शित करते हैं कि अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या कारित करने के आशय से ही टांगी के पासा से मृतक के सिर में मारा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हुई है । अतः स्पष्ट है कि अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा ही टांगी से मारकर मृतक की हत्या कारित की गई है । तद्नुसार अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष "प्रमाणित" में दिया जाता है ।

68. अब जहाँ तक अभियुक्त द्वारा मृतक को माँ—बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने एवं मृतक को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का प्रश्न है किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं

किया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक को जान से मारने की धमकी दी गई थी । **नरेश राठिया (अ.सा.2)** एवं **सरोजनी बाई राठिया (अ.सा.4)** के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ गाली–गलौज करने के संबंध में कथन नहीं किया है तथा उक्त दोनों साक्षियों ने यह बताया है कि अभियुक्त गाली–गलौज कर रहा था, किंतु अभियुक्त द्वारा क्या गालियां दी गई थी, उनके द्वारा कथन नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ गाली–गलौज कर उसे क्षोभ कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।

69. अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के विवेचन एवं सकारण निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.08.2021 को समय करीब 12:00 बजे ग्राम–बस्तीपाली चुआ डोली अंतर्गत थाना–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में मृतक समुंदर राठिया की हत्या कारित करने के आशय से अथवा उसे ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिसके बारे में वह यह जानता था कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, समुंदर राठिया के सिर में टांगा के पासा से प्रहार कर

हत्या कारित की गई किंतु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर मृतक समुंदर राठिया को लोक स्थान या उसके समीप माँ–बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए आपराधिक अभित्रास कारित किया गया है ।

70. **अतः अभियुक्त तेलसिंह राठिया को धारा 294, 506 भाग–दो भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है किंतु उसे धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है ।**

71. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त को परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

72. दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ समय पश्चात् रखा जावे।

सही/–

(अभिषेक शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

पुनश्च,

73. अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

74. अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया है कि, घटना के समय अभियुक्त की आयु 45 वर्ष थी तथा वर्तमान में उसकी आयु 51 वर्ष है तथा प्रकरण के विचारण के दौरान वह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उसका यह प्रथम अपराध है उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है । अतः उसे न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि के कारावास से दंडित किया जावे।

75. अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतक समुंदर राठिया को टांगी से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की गई है, अतः अभियुक्त के अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसे मृत्युदण्ड से दंडित किया जावे।

76. दण्ड का निर्धारण एक अत्यंत कठिन प्रश्न होता है। दण्ड निर्धारित किए जाते समय अपराध की प्रकृति, अपराध में प्रयुक्त हथियार, मृतक एवं अभियुक्त का संबंध, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि, अपराध की विभत्सता आदि के संबंध में विचार किया जाता है।

77. अभियोजन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा हो। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। यह सामान्य नियम है कि आजीवन कारावास एक नियम है एवं मृत्युदण्ड अपवाद है तथा विरलतम से विरलतम अपराध की दशा में

ही मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिए। प्रकरण में अभियोजन ऐसा कोई भी तथ्य दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को विरलतम से विरलतम अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त का अपराध विरलतम से विरलतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

78. **अतः अभियुक्त तेलसिंह राठिया को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1,000/–(अक्षरी–एक हजार) रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे ।**

79. अभियुक्त का सजा वारंट तैयार कर उसे सजा भुगताये जाने हेतु जिला जेल रायगढ़ भेजा जावे ।

80. अभियुक्त तेलसिंह राठिया प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 17.08.2026 तक कुल 05 वर्ष 07 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है तत्संबंध में पृथक से धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान में धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

81. अभियुक्त की ओर से धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान में धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत् प्रस्तुत मुचलका छः माह की अवधि तक वैध रहेगा, छः माह की अवधि के पश्चात् मुचलका स्वतः ही भारहीन हो जावेगा।

82. प्रकरण में जप्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, तौलिया एवं लोहे का टांगी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में उपरोक्त समस्त सम्पत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे ।

83. प्रकरण में आये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक समुंदर राठिया की हत्या कारित की गई है । मृतक की हत्या के परिणामस्वरूप मृतक के विधिक वारिसानों/आश्रितों को गंभीर मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा होगा, जिसके लिये क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना न्यायोचित है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत अंकुश शिवाजी गायकवाड़ विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2013 (6) एस.सी.सी. 770** में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं धारा 357–क दं.प्र.सं. (वर्तमान में धारा 396 भा.ना.सु.सं.) में अपराध से संबंधित मृतक के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इसलिए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मृतक के विधिक

वारिसानों/आश्रितों को 1,00,000/–(अक्षरी–एक लाख) रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है । तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वे मृतिका के विधिक वारिसानों/आश्रितों के संबंध में विधिवत जाँच कर उन्हें क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना सुनिश्चित करें।

84. धारा 365 दं.प्र.सं. (वर्तमान में धारा 406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुसार निर्णय की निःशुल्क प्रति अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ को प्रेषित की जावे एवं **छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध प्रमोद राम सस्तु राम नागेशिया आईएलआर 2019 छत्तीसगढ़ 2032** में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार मृतक की पत्नी केवरा बाई (अ.सा.1) को भी निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

85. अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान कर इस निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध अपील किए जाने के विधिक अधिकार से अवगत कराया गया और यह बताया गया कि वे जेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध माननीय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

86. **माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रामसाय उर्फ बौउरा पंडो विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एस.सी.सी. ऑनलाईन छत्तीसगढ़ 1733 तथा क्रिमिनल अपील क्रमांक 619/2018 रामदास सोनी विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य** में घोषित निर्णय दिनांक 06.09.2019 में दिए गए निर्देशों परिप्रेक्ष्य में निर्णय की निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि के जेल अधीक्षक, जिला जेल–रायगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि वे अभियुक्त को उसके अपील के अधिकार से अवगत करावे और यदि अभियुक्त अपील करना चाहता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,रायगढ़ (छ.ग.) को निर्णय की प्रति प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर तत्संबंध में सूचना प्रेषित करे।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित ।	**मेरे निर्देशानुसार टंकित ।**
सही/–	**सही/–**
(अभिषेक शर्मा) अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)	**(अभिषेक शर्मा) अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)**

––: सेट ऑफ प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. (वर्तमान में धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) :––

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनाँक	न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि	पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि	धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	**तेलसिंह राठिया पिता गणेशराम राठिया,** उम्र–45 वर्ष, निवासी–बस्तीपाली, थाना–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	10.08.2021	दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 17.08.2026 तक कुल 05 वर्ष 07 दिवस	निरंक	दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 17.08.2026 तक कुल 05 वर्ष 07 दिवस

सही/–
(अभिषेक शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

–प्रमाण पत्र–
मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंर्तवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल निर्णय में टंकित की गई है।
स्टेनोग्राफर का नाम– राजेन्द्र कुमार